

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतत दी जाती है कि वे अपने को निव्यक्तन भारतीय सिमान / चौकी पर पंजीकृत करावा में ।

धेतावनी

यह पानपोर्ट भारत प्रत्यक्ष की सम्पत्ति है ; पानपोर्ट अधिवासी से इस पानपोर्ट के संरक्षण में कोई पूरुषा निव्यक्तन पर निमानें इसे सुदुर्लभ काव्य शक्ति है, उतका तुलना अनुमान दिया जाए । यह पानपोर्ट शक डाक मिली भी देश से बाहर न सेवा जाए । यह पानपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्रविष्टित व्यक्ति के कबो में ही होना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या निवृत्त नहीं किया जाना चाहिए ।

पानपोर्ट भुन जना, चोरी हो जाना या नष्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल भारत में निव्यक्तन पानपोर्ट अधिकारी को (तथा यदि धारक विदेश में हो) निव्यक्तन भारतीय सिमान की और स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए । निव्यक्तन पुष्टावध के पश्चात ही प्रतिपूरक पानपोर्ट जारी किया जाएगा ।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

पिता का नाम / Name of Father / Legal Guardian

SHER SINGH MEHRA

माता का नाम / Name of Mother

OM WATI MEHRA

पति का नाम / Name of Spouse

H-49 SHIV RAM PARK

पता / Address

NANGLOI DELHI 41

पुराने पानपोर्ट का नं. और प्रत्यक्ष जारी होने का स्थान एवं तिथि / Old Passport No. with date and Place of Issue

कार्ड नं. / File No.

DLHA01747407